684/2016

[illegible]

27.02.2020

[illegible] 36 [illegible]

[illegible]

18.03.2020 [illegible]

27/02/2020

आदेश का क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी
	अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख मे संलग्न है। सुनवाई में जमाबंदी रैयत के वंशज बुद्धदेव नायक के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में जमीनदारी रसीद एवं सरकारी लगान रसीद सं0 000953 वर्ष 2014–15 की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एव अचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट) प्राप्त है। जो निम्नवत **<u>खतियान की स्थिति</u>**:– मौजा हरदीगढा, थाना न0 169 के सर्वे खतियान में खाता स0 36 प्लॉट सं0 115 रकबा क्रमश 0.85 एकड़ भूमि सर्वे खतियान मे गैरमजुरूआ खास जंगल–झाडी एवं खेसरा सं0 279 रकबा 0.65 एकड़ गैरमजुरूआ खास परती कदीम दर्ज है। **<u>पंजी ii की स्थिति</u>** :– पंजी II में वर्ष 1969–70 से जमाबंदी चल रहा है। पूर्व जमीदार के द्वारा वर्ष 1944 मे सादा हुकुमनामा द्वारा उक्त जमीन को बंदोबस्त किया गया है। किन्तु जमाबंदी का आधार दर्ज नहीं है। उपलब्ध बंदोबस्त पंजी से मिलान किया गया। दर्ज नहीं पाया गया। खेसरा सं0 115 रकबा 0.85 एकड भूमि खतियान में गैरमजुरूआ खास जगल झाडी दर्ज है। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदनानुसार पंजी II में दर्ज खाता सं036 खेसरा सं 115 एव 279 रकबा क्रमशः 0.85 एकड एवं 0.65 एकड़ कुल रकबा 1.50 एकड़ भूमि का साक्ष्य के रूप मे आधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त भूमि की जमाबंदी को रदद करने की अनुशंसा की गई है। अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन एव अनुशंसा के आधार पर मौजा– हरदीगढ़ा थाना नं0 169 खाता सं0 36 खेसरा सं0 115 एवं 279 रकबा क्रमशः 0.85 एकड़ एवं 0.65 एकड़ कुल रकबा 1.50 एकड भूमि की जमाबन्दी को **BLR ACT** 1950 की धारा **4 (h)** के तहत रदद करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता खूँटी को भेजे। लेखापित संशोधित। अंचल अधिकारी कर्रा। अंचल अधिकारी कर्रा।	